रोसड़ा नगर पंचायत कार्यालय, रोसड़ा

जिला – समस्तीपुर

मो0 जमाल अख्तर अंसारी
बि0 प्र0 से0
कार्यपालक पदाधिकारी

email - roseranagarpanchayat.rosera@gmail.com
दूरभाष सं0 – 06275– 222051

ज्ञापांक .... दिनांक ....

सेवा में,

लेखा परीक्षा अधिकारी ,
शहरी स्थानीय निकाय
बिहार , पटना –800004

विषय :–अंकेंक्षण लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0 673/2011–12 (अवधि– 2009–10 से 2010–11)में प्राप्त आपत्तियों पर रोसड़ा नगर पंचायत का प्रतिवेदन समर्पित करने के सम्वन्ध में ।

महोदय ,

उपर्युत बिषयक भवदीय पत्रांक 835 दिनांक 3.10.12 के आलोक में निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 673/ 2011–12 का कार्यालय प्रतिवेदन समर्पित की जा रही है । जो पत्र के साथ संलग्न की जा रही है ।

अतः अनुरोध है कि समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर निस्तार होने वाले कंडिकाओं को कृपया वापस लेने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नक
यथोक्त

विश्वाभजन

ह0

कार्यपालक पदाधिकारी
रोसड़ा नगर पंचायत

ज्ञापांक 447 दिनांक 08/09/14

नगर पंचायत कार्यालय, रोसड़ा

विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग , पटना को सूचनार्थ एवं आवश कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

कार्यपालक पदाधिकारी
रोसड़ा नगर पंचायत

नगर पंचायत कार्यालय, रोसड़ा जिला–समस्तीपुर

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 673/11–12 (अवधि वर्ष 2009–10 से 2010 –11 तक) के आपत्ति के क्रम में रोसड़ा नगर पंचायत के द्वारा कंडिकाबार (PARA WISE) प्रतिवेदन

कंडिका संख्या	कार्यालय का आपत्ति पर प्रतिवेदन	अभियुक्ति
1	2	3
1	No Comment	
2	No Comment	
3	No Comment	
4	No Comment	
5	<u>लेखा परीक्षा में प्रमुख उपलब्धियॉं</u>	
	इसका प्रतिवेदन बाद में कंडिकाबार इसी प्रतिवेदन में दिया जा रहा है ।	
6	<u>आंतरिक लेखा परीक्षा</u>	
	शीघ्र ही नियमावली एवं नये म्युनिसिपल लेखा नियमावली के अन्तर्गत आंतरिक जॉंच के सम्बन्ध में प्रस्ताव देने के लिए प्रधान सहायक से प्रस्ताव की मॉंग किया गया है ।	
7(1)	<u>अदृश्य</u>	
	योजनाओं एवं अन्य लेखा पंजियों का संधारण कार्यालय के द्वारा कर लिया गया है । जहॉं तक स्वयं के आय श्रोतों बढ़ाने का प्रयास है । कई श्रोतों से आय बढ़ाया गया है । उदाहरण स्वरूप बिहार म्युनिसिपल एक्ट 2007 को धारा 342 के प्रावधान लाईसेंस का शुल्क पर्षद द्वारा निर्धारित कर दिया गया है । मोबाईल टावर, वाणिज्यिक वाहन पार्किंग येवा शुल्क आदि का नियमानुसार कर/शुल्क आदि लगाकर नगर पंचायत के आंतरिक संशाधन बढ़ाया गया है ।	

(15)

7(2)	दो कोषागार पासवुक का संधारण	
	कार्यालय से पता चला कि मुख्य कोषागार पासबुक कार्यालय में इसका पंजी नहीं मिलने पर ही कार्यालय के द्वारा दुसरा कोषागार पासबुक का संधारण किया गया था बाद में पूर्व का पासबुक पंजी मिल जाने पर उस पर ही इसका संधारण कोषागार के द्वारा किया गया है । अतिरिक्त पंजी को सुरक्षित रखा गया है । मूल कोषागार पंजी का संधारण कोषागार द्वारा करा लिया गया है । जिसे अगले निरीक्षण में प्रस्तुत कार्यालय द्वारा किया जायेगा ।	
8	8 अन्य लेखा बहियों की स्थिति	
	प्राय: सभी लेखा पंजियों का संधारण कार्यालय के द्वारा किया जा चुका है ।	
8(1)	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत शहरी गरीबी निवारण कार्यक्रम	
	सम्बन्धित पंजी का संधारण कार्यालय के द्वारा कर लिया गया है एवं इसके सम्बन्धित खाता को भी बैंक से up to Date करा लिया गया है ।	
8(2)	सम विकास योजना	
	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, रोसड़ा का बचत खाता सं0 2091510034 को बैंक से up to Date सम्बन्धित अवधि का कराया जा चुका है ।	
8(3)	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना माईक्रो ईन्टरप्राईजेज योजना	
	सम्बन्धित रोकड़बही का संधारण कार्यालय द्वारा कर लिया गया है एवं इससे सम्बन्धित खाता को भी बैंक से up to Date करा लिया गया है ।	
8(4)	स्वंर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना वेजे ईम्पलाईमेंट योजना	
	रोकड़बही का संधारण कर लिया गया है एवं इससे सम्बन्धित खाते को बैंक से up to Date करा लिया गया है ।	
8(5)	नागरिक सुविधा	
	रोकड़बही का संधारण कर लिया गया है एवं इससे सम्बन्धित खाते को बैंक से up to Date करा लिया गया है ।	
8(6)	I.D.S.M.T	

(3)

(153)

	इसके संम्बन्धित पंजी का संधारण कर लिया गया है एवं खाता की राशि का बैंक से up to Date करा लिया गया है ।	
8(7)	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना वेजे ईम्पलाईमेंट स्कीम	
	रोकड़बही का संधारण कर लिया गया है एवं इससे सम्बन्धित खाते को बैंक से up to Date करा लिया गया है ।	
8(8)	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	
	इसके संबंधित पंजी का संधारण कर लिया गया है एवं खाता का पासबुक भी अद्यतन बैंक से up to Date करा लिया गया है ।	
8(9)	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना	
	रोकड़बही का संधारण करा लिया गया है एवं पासबुक उपलब्ध है ।	
8(10)	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना प्रशिक्षण योजना	
	रोकड़बही का संधारण करा लिया गया है एवं पासबुक उपलब्ध है ।	
8(11)	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना माईक्रो ईन्टर प्राईवेज स्कीम	
	रोकड़बही का संधारण करा लिया गया है ।	
9.	रोकड़ बही का त्रुटियाँ	
	पी0 एल0 लेखा का संधारण कर लिया है । दिये गये निर्देशों का अनुपालन हेतु कार्यालय को आदेश दे दिया गया है ।	
10	अनुदान	
	सम्बन्धित पंजियों का संधारण कर लिया गया है एवं अनुदान पंजी का संधारण किया जा चुका है ।	
11	ऋण एवं ऋण विनियोग पंजी	
	इस पंजियों के संधारण के लिए कार्यालय को निर्देश दिया जा रहा है ।	
12	बजट	

	नगर पंचायत पर्षद की बैठक दिनांक 13/4/2012 से वर्ष 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 में कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा किये गये खर्च को मंजूरी/स्वीकृति प्रदान करते हुए वर्ष 2012–13 के बजट के प्रारूप को भी स्वीकृति नगर पंचायत की पर्षद की बैठक ने कर दिया है । यह सत्य है कि इसकी स्वीकृति ससमय नहीं हो सका परन्तु बाद के वर्षो में प्रतिवर्ष बजट के प्रारूप को माननीय पर्षद की बैठक से स्वीकृति कराया जा रहा है । अतः 2009–10 एवं 2010–11 में 57,14,796 एवं 73,47,493 का व्यय प्राधिकृत माना जा सकता है ।	
13	<u>वार्षिक वित्तीय विवरण</u>	
	इसका अनुपालन कार्यालय को करने का निर्दश दिया जा रहा है । एवं हाल के वर्षो में इसका अनुपालन किया भी जा रहा है ।	
14	<u>भवन कर के मॉग एवं वसूली की स्थिति</u>	
	समबन्धित पंजियों का संधारण किया जा चुका है । सरकारी भवनों आदि पर मॉग सूचना जारी भी किया जा चुका है । नियमानुसार बकाये करों की वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है । सम्बन्धित पंजियों का निरिक्षण अगले अंकेक्षण में कराने का आदेश कार्यालय को दे दिया गया है।	
15	<u>टिन टिकट का बंदोबस्ती नहीं किया गया</u>	
	कार्यालय में कर्मियो की कमी है । इसके बन्दोबस्ती के लिए सम्बन्धित वर्षो में सूचना का प्रकाशन किया गया परन्तु कइ कारणों से इसका बन्दोबस्त किसी भी बन्दोबसती दारों द्वारा नहीं लियें जाने पर इसका विभागीय वसूली कराया गया । जिसकी वसूली इनके होने वाले वेतन भत्ते पर खर्च से बहुत ही कम राशि र्पाप्त होने पर ही माननीय सशक्त स्थायी कमिटी ने इसके बन्दोबस्ती पर रोक लगाना पड़ा ।	
16	<u>बस पड़ाव एवं अन्य खैरातों की बन्दोवस्ती नहीं होने के कारण राजस्व हानि</u>	
	वर्त्तमान समय बस पड़ाव विभागीय स्तर से चलाया जा रहा है । पंजियों का संधारण किया जा रहा है । लेखा वरीक्षा के टिप्पणी पर रेखा जा रहा है । सैरातों का बकाये राशि की वसूली किया जा रहा है । कोई भी राजस्व की क्षति नहीं हुआ है ।	

④ 157

(5)

(15)

	1. गोधरा भूमि का बन्दोवस्ती प्रतिवर्ष हा रहा है एवं 2012–13 तक इसके राशि का वसूली हो चुका है ।	
	2. मिर्जापुर का जमीन कई कारणों से खेती के लायक नहीं था इसलिए इसका बन्दोबस्ती नहीं हो पाता है । खेत को पुनः सुधार कुड़ा कर्कट से मुक्त करवा दिया गया है पुनः इस वर्ष बन्दोबस्ती की प्रक्रिया में है ।	
	3. कस्तुरबा गॉधी के समीप के जमीन का बन्दोवस्ती वर्ष 2012–13 से प्रतिवर्ष किया जा रहा है । इस वर्ष भी बन्दोवस्ती के प्रक्रिया में है ।	
	4. क्रमांक 4,6,एवं 10 को छोड़कर प्रतिवर्ष सम्बन्धित सैरातों का बन्दोवस्त कराया जा रहा है ।	
17	<u>बकाया किराया</u>	
	बकाये किराया की वसूली जारी है । एक दो को छोड़कर शेष सभी दुकानदारों से बकाये राशि की वसूली सम्बन्धित अवधि का किया जा चुका है । शेष पर वसूली कार्रवाई जारी है ।	
18	<u>बसूल की गई राशि जमा नहीं/कम जमा</u>	
	सम्बन्धित कर्मचारीयों से शेष वसूल की गई राशि को जमा करा लिया गया है जिसका विवरण परिशिष्ट 4 एवं 5 में दिया जा रहा है जो इसके साथ संलग्न किया जा रहा है ।	
19	कोषागार पासवुक में जमा नहीं देखा जाना	
	कोषागार पासवुक का संधारण कोषागार द्वारा कर दिया गया है । अगले निरीक्षण में उपस्थापित करने हेतु आदेश दिया गया है ।	
20	<u>विभिन्न रसीद बुकों की त्रुटियॉ</u>	
	निर्देश का अनुपालन के लिए कार्यालय आदेश जारी किया गया है । जो अगले निरीक्षण में उपलब्ध कराया जायेगा ।	
21	<u>विविध रसीद बुक एवं एच फार्म बुक</u>	
	सभी रसीद कार्यालय में उपलब्ध है । अगले निरीक्षण में उपस्थापित करने का निर्देश दिया गया है ।	

22	चेक द्वारा प्राप्त भवन कर	
	इसका छानवीन कराया जा रहा है जो अगले लेखा निरीक्षण में उपस्थापित करने का आदेश दिया गया है ।	
23	लेखापाल रोकड़ में प्रविष्टी नहीं	
	लेखापाल रोकड़ बही का क्रमांक 1–252 एवं अन्य पृष्ठ में सम्बन्धित आपत्ति राशि का प्रविष्टी हो चुका है जिसका अंकेक्षण हो चुका है ।	
24	योजनाओं की स्थिति	
24(1)	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	
	सम्बन्धित वर्षो के योजनाओं को सम्पन्न कराया जा चुका है ।	
24(2)	एकादश वित्त आयोग	
	दो योजना पुर्ण हो चुका है। एक योजना लंबित है।	
24(3)	द्वादश वित्त आयोग	
	मात्र एक योजना को छोड़कर शेष योजना पूर्ण हो चुका है एवं 1 योजना भी बहुत शीघ्र पूरा होने की सम्भावना है ।	
24(4)	तेरहवी वित्त आयोग	
	व्यय करने हेतु योजनाओं का चयन किया गया है ।	
24(5)	नागरिक सुविधा	
	सभी योजना पूर्ण हो चुका है ।	
25	अंकेक्षण विपत्र का संदेहास्पद भुगतान	
	Conformation के लिए पत्राचार किया जा रहा है ।	
26	सेक्सन मशीन क्रय	
	अगले निरीक्षण में कार्यवाही की संचिका उपलब्ध कराने हेतु संम्बन्धित कर्मियों को निर्देश दिया जा चुका है ।	
27	दैनिक मजदुरी भुगतान	

(6) 150

	रोसड़ा नगर पंचायत में विभिन्न कोटि के 85 पद स्वीकुत थे । वह भी 1965 के पूर्व । उस समय रोसड़ा नगर पालिका की जनसंख्या लगभग 12 हजार के करीब था । आज लगभग जनसंख्या 35000 के करीब है जबकि वर्त्तमान समय मात्र 35 थे (अंकेक्षण के समय) शहर की आबादी बढ़ गया है एवं बहुत से नये नये कार्यों की जिम्मेवारी नगर पंचायत को दिया गया है । कार्यालय कार्यालय कार्या को तो किसी तरह चतुर्थ वर्गीय कर्मी जो शिक्षित थे उनसे कराया जा रहा है परन्तु सफाई का कार्य विना कर्मियों का नही चल सकता है ऐसी स्थिति मेंही दैनिक मजदुरी पर कर्मियों को रखकर कार्य कराया जाता है । इसके चलते ही दैनिक मजदुरों को भुगतान किया जाता है ।	
28	<u>पेंशन भुगतान</u>	
	पेंशन का भुगतान बिहार नगरपालिका ऑफिसर एवं कर्मचारी पेंशन नियमावली 1987 के विहित प्रावधान एवं माननीय उच्च न्यायालय का इस सम्बन्ध में पारित आदेश पर उप सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग पटना के पत्र सं0 .... दिनांक .... के आलोक में ही किया गया है ।	
29	<u>बकाया अग्रिम</u>	
	बकाया अग्रिम का कटौती किया जा रहा है ।	
30	<u>अभिश्रव अनुपलब्ध</u>	
	प्रधान सहायक को अगले निरीक्षण में इन अभिश्रवों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है ।	
31	<u>स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल</u>	
	अति आवश्यक है।	
32	<u>लेखा परीक्षा का परिणाम</u>	
	टिप्पणी पर भविष्य में ध्यान दिया जायेगा ।	
33	<u>कार्यपालक से वार्त्ता</u>	
	समुचित कार्यवाही के तहत भविष्य मे ध्यान रखने के लिए कार्यालय को निर्देश जारी किया गया है।	
34	<u>सामान्य अभियुक्ति</u>	

(8)

(148)

	निर्देशों एवं सुझाव पर भविष्य मे ध्यान दिया जायेगा ।		

कार्यपालक पदाधिकारी
रोसड़ा नगर पंचायत